

समस्त पत्र-व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं। पूर्व सन्दर्भ यदि हो
तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी।

दूरभाष : 2529540, 2527532
तार : यूनिवर्सिटी
फ़ेक्स : 0731-2529540



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक : गोपनीय/2019/1168

दिनांक : 12.5 MAY 2019

प्रति,
वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष/शिफ्ट इंचार्ज
समस्त संबंधित परीक्षा केन्द्र, इन्दौर/धार/झाबुआ/खण्डवा/
खरगोन/अलीराजपुर/बुरहानपुर/बड़वानी.
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- परीक्षा में वीक्षकों के मोबाइल प्रतिबंधित करने संबंधित।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता की दृष्टि से समस्त वीक्षकों के मोबाइल फोन परीक्षा केन्द्र परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। यदि त्रुटिवश वीक्षक मोबाइल साथ लेकर आ जाता है तो, मोबाइल फोन जमा कराने के पश्चात ही केन्द्राध्यक्ष/शिफ्ट इंचार्ज द्वारा वीक्षकों को प्रश्नपत्र वितरण हेतु प्रदाय किये जा सकेंगे। परीक्षा के दौरान निरीक्षण दलों द्वारा इस संबंध में जांच की जा सकेगी।

यदि किसी परीक्षा केन्द्र द्वारा उक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा केन्द्राध्यक्ष/शिफ्ट इंचार्ज/वीक्षक के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जा सकेगी। उक्त निर्देशों का पालन जारी दिनांक से तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

उप कुलसचिव (गोपनीय)

पृष्ठा. क्रमांक : गोपनीय/2019/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

1. केन्द्राध्यक्ष/शिफ्ट इंचार्ज, समस्त परीक्षा केन्द्र, इन्दौर, धार, झाबुआ, खण्डवा, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी की ओर पालनार्थ प्रस्तुत।
2. प्रभारी, आय.ई.टी., देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की ओर उक्त पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।